

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक प्रतापगढ़(राज)

आदेश:-

निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/ मगाप्रकोष्ठ/ 66174/वॉक इन इन्टरव्यू/2024-25/22810 दिनांक 30.06.2025 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिये विशेष चयन और सेवा की विशेष शर्त) नियम 2023 के नियम 10 व नियम 11 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण तथा विभागीय विज्ञप्ति दिनांक 11.07.2024, 10.01.2025 व 26.06.2025 में उल्लेखित नियम 9 ख के प्रावधानानुसार जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा उपरान्त अध्यापक ग्रेड-III लेवल द्वितीय के शिक्षकों का चयन किया जाकर संलग्न सूचियों के कॉलम संख्या 8 में अंकित विद्यालय में पदस्थापन निम्नांकित शर्तों के अनुसार किया जाता है:-

1. सामान्यतः आवेदित पदों पर चयन के पश्चात कार्मिक को एक वर्ष की अवधि के लिये पदस्थापित किया जा सकेगा एवं एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने के उपरान्त कार्य सन्तोषजनक होने की स्थिति में कार्मिक की पदस्थापन कार्य अवधि विज्ञप्ति के प्रावधानानुसार विनिर्दिष्ट (Specified) प्रक्रिया द्वारा एक-एक वर्ष के लिए प्रतिवर्ष बढ़ाई जा सकेगी।
2. पदस्थापन उपरान्त संबंधित किसी भी कार्मिक की रिकार्ड अनुसार नकारात्मक छवि,प्रतिकूल परीक्षा परिणाम आदि पाया जाता है तो प्रशासनिक विभाग 03 माह की अवधि तक संबंधित कार्मिक के पदस्थापन पर पुनर्विचार कर सकेगा एवं नियुक्ति प्राधिकारी को किसी कार्मिक को,पूर्वतर नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय के लिए ऐसी सेवावधि के पूर्ण होने से पूर्व बिना कोई कारण दिये, निर्मुक्त (Relieve) करने का अधिकार होगा।
3. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात् पदस्थापित कार्मिक को मूल संवर्ग में किसी उच्चतर पद पदोन्नत किया जाता है,उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए प्रतिवर्तित समझा जायेगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन के लिए वांछनीय अर्हताएं रखने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नत कार्मिक का किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में रिक्तियों और अत्यावश्यकता के अनुसार पदस्थापन पर प्रतिधारण (Retention) का विनिश्चय कर सकेगा।
4. अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु चयनित कार्मिक को उसके पद /विषय के अनुसार सम्पूर्ण जिले के किसी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापित/स्थानान्तरित किया जा सकेगा। संबंधित अभ्यर्थी की वास्तविक वरिष्ठता,पदस्थापन में उक्त परिवर्तन से अप्रभावित रहेगी।
5. ऐसे पदों पर कार्यरत कार्मिकों के मामले में जिसका वरिष्ठता अन्य रेंज/जिला के अधिकार क्षेत्र के अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात भी संबंधित पूर्ववर्ती रेंज/जिले में संरक्षित की जायेगी और वे अग्रिम पदोन्नति के लिए मूल रेंज/जिले में धारणाधिकार के हकदार होंगे।
6. ऐसे पदों के मामले में जहाँ वरिष्ठता रेंज/जिला स्तर पर संधारित है और परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी/परिवीक्षाधीन व्यक्ति अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में चयन के पश्चात अन्य रेंज/जिले में पदस्थापित है वहाँ परिवीक्षाकाल के सफलतापूर्वक समाप्त होने के पश्चात स्थायी वरिष्ठता पूर्व रेंज/जिले जहां अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापित होने से पूर्व उसकी वरिष्ठता धारित है के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा किया जायेगा। ऐसे कार्मिकों को किसी माध्यम विद्यालय में प्रतिवर्तन के उपरान्त पदस्थापन के लिए पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी को सुपुर्द किया जायेगा।
7. उपरोक्त कार्मिकों में से यदि कोई कार्मिक पूर्व से अंग्रेजी माध्यम विद्यालय (स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल सहित) में चयनोपरांत कार्यरत है तो उस कार्मिक को कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नहीं करते हुए अविलंब इस कार्यालय को अवगत करावें।

8. कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि चयनित शिक्षक के विरुद्ध वर्तमान में किसी भी प्रकार की विभागीय जांच लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
9. कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे की चयनित शिक्षक वर्तमान में माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में ही कार्यरत है तथा चयन हेतु अनुमोदित सूचियों में शिक्षक का वर्तमान पदस्थापन स्थान, मूल पद, व विषय सही अंकित है।
10. चयनित कार्मिक को उसके मूल पद विषय के अनुसार अग्रेजी माध्यम विद्यालयों के रिक्त पद हेतु कार्यमुक्त किया जावे। किसी भी स्थिति में पद विरुद्ध कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
11. राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त कार्मिकों को शहरी क्षेत्र नगर पालिका/नगर निगम में कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
12. कार्मिक को उसके पदस्थापित म.ग.रा.वि.व में विद्यार्थियों का नामांकन कम रहने/होने की स्थिति में उस विद्यालय में से जिले में किसी अन्य विद्यालय में पदस्थापित किया जा सकेगा।
13. कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों को केवल अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों के लिए ही कार्यमुक्त किया गया है।
14. उक्त कार्मिकों का चयन व पदस्थापन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है। डी. बी.सिविल स्पेशल अपील याचिका संख्या 734/2024 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम मोहनलाल शर्मा व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड 03 याचिकाओं एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन एस0बी0सिविल याचिका संख्या 14505/2024 राजेश कुमार जाट बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं अन्य सम्बन्धित न्यायिक प्रकरणों में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अध्वधिन रहेगा।

अतः सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी संलग्न सूची अनुसार चयनित कार्मिकों को वे तत्काल प्रभाव से दिनांक 30.06.2025 को ही पदस्थापन स्थान हेतु ऑनलाईन कार्यमुक्त करे तथा सम्बन्धित कार्मिक कार्यमुक्त उपरान्त पदस्थापन स्थान पर अविलम्ब अधिकतम दिनांक 02.07.2025 तक ऑनलाईन कार्यग्रहण करना सुनिश्चित करें। कार्यमुक्त करने में किसी भी प्रकार की देरी होने पर समस्त जिम्मेदारी संबन्धित नियंत्रण अधिकारी की होगी।

संलग्न:- सूची


 (सुनील कुमार भट्ट)
 जिला शिक्षा अधिकारी
 (मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़

क्रमांक:- जिशिअ/मुमा/प्रताप/संस्था/मगापदस्थापन/लेवल-2/2025/4171 दिनांक 30.06.2025
 प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान् निदेशक महोदय निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. श्रीमान् संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर संभाग उदयपुर।
3. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा
4. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय(प्रारम्भिक)/माध्यमिक.....
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
6. संबन्धित पीईईओ.....
7. संबन्धित संस्था प्रधान राप्रवि/राउप्रवि/राउमावि/मगरावि.....
8. संबन्धित श्री.....
9. रक्षित पत्रावली।


 जिला शिक्षा अधिकारी
 (मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़(राज.)

क्रमांक:- जिशिअ/मुमा/प्रताप/संस्था/मगापदस्थापन/लेवल-2/2025/4171

दिनांक 30.06.2025

आदेश

	कार्मिक का नाम	पदनाम	विषय	एम्प्लॉय आई.डी.	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जिला	आवृत्ति विद्यालय का नाम	आवृत्ति जिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	AASTHA DHABAI	Teacher Level-2	English	RJPG201630006457	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PANCHIMALI (419643)	PRATAPGARH	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL SURAJPURA (503507)	PRATAPGARH
2	AKSHAY PANDA	Teacher Level-2	English	RJUD202437102559	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MAHADIKOTDA, UDAIPUR (223327)	UDAIPUR	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KOTADI (217809)	PRATAPGARH
3	CHHINA JAIN	Teacher Level-2	English	RJPG202130011212	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KARMAL KALA (424648)	PRATAPGARH	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL, DEULA (224770)	PRATAPGARH
4	GOVIND PRAJAPAT	Teacher Level-2	Mathematics/ Science	RJPG202430108582	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL MANOVI (475793)	PRATAPGARH	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL G P S DHOLAPANI (418361)	PRATAPGARH
5	KALU RAM MEENA	Teacher Level-2	English	RJPG201230045237	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BADI SAKHATHALI (217817)	PRATAPGARH	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL SALAMGARH (401765)	PRATAPGARH
6	KAMLESH KUMAR SUTHAR	Teacher Level-2	English	RJPG201830025588	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHARPOTIYA FIRST (421123)	PRATAPGARH	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL BADI SAKHATHAL (217817)	PRATAPGARH
7	MISHKAT SHAIKH	Teacher Level-2	English	RJRA202331063931	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL KESAR (485340)	RAJSAMAND	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL PEEPALKHUNT (224729)	PRATAPGARH
8	MOOMAL RATHORE	Teacher Level-2	Mathematics/ Science	RJCT202311556675	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BORKHERA (503952)	CHITTORGARH	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL G U P S NO. 2 CHHOTI SADRI (461873)	PRATAPGARH
9	NIKHILESH KUMAR TAILOR	Teacher Level-2	Mathematics/ Science	RJPG201830029319	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL CHOTILANK (413218)	PRATAPGARH	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL GOMANA (517413)	PRATAPGARH
10	VIJAY PARIHAR	Teacher Level-2	English	RJPG201830024557	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL ITO KA TALAB (414067)	PRATAPGARH	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL MAANPURA (426358)	PRATAPGARH
11	VIKAS KUMAR MEENA	Teacher Level-2	English	RJSL202456111954	GOVT. UPPER PRIMARY SCHOOL RODADA PHALA (452253)	SALUMBAR	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL G P S DHOLAPANI (418361)	PRATAPGARH

30/6/2025
(सुनील कुमार भट्ट)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक प्रतापगढ़